न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर
रसद प्रार्थना पत्र संख्या 33 / 2019

राजस्थान सरकार जरिये अब्दुल सादिक प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

........प्रार्थी

बनाम

श्री जितेन्द्र पंजाबी पुत्र श्री किशनलाल,
कलका चौक, दरगाह बाजार अजमेर निवासी– बख्शीश की कोठी, पीर मीठा गली,अजमेर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित: श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 06.08.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 28.02.2019 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग / घरेलू सिलेण्डर के अवैध रूप से गैस रिफिलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय संयुक्त जांच दल द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर अवैध रूप से गैस सिलेण्डर बिक्री का व्यवसाय करना पाया गया। गैस सिलेण्डर के संबध में कोई दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किये गये। अवैध रूप से गैस सिलेण्डर बिक्री में घरेलू सिलेण्डर का दुरूपयोग घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक उपयोग की पुष्टि करता है। अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	003315	RELIANCE	16.8 kg	17.13kg	0.33	Domestic
2	481015	RELIANCE	16.6 kg	16.85 kg	0.25	Domestic
3.	17353	GO GAS	15.1 kg	16.0 kg	0.9	Domestic

तथा दो अप्रमाणित छोटे सिलेण्डर को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 6 का उल्लंघन है। अतः सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर मैसर्स ख्वाजा गैस ऐजेन्सी, के कार्मिक जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री जग्गुलाल निवासी भांग बावडी, आशागंज, अजमेर को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अधिनियम के तहत जब्तशुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं दो अप्रमाणित छोटे सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। सुनवाई चाहने पर उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 28.02.2019 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 6 का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये तीन घरेलू गैस सिलेण्डर एवं दो अप्रमाणित सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

हमनें पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये, उनके द्वारा जरिये जवाब भी प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन नहीं किया गया है। वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिया गये तीन घरेलू गैस सिलेण्डर एवं दो अप्रमाणित सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय जिला कलक्टर अजमेर

Sharma

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner